



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 03.07.2024

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.06.2024 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि दिनांक 05.06.2024 को अभियुक्तगण 1.मुकेश कुमार पुत्र नन्दु निवासी ग्राम कूकडामंडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर व 2.अनमोल पुत्र रजनीश निवासी मौ0 गांधीनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ने वादी के पुत्र अनुराग की हत्या कर दी । तहरीर के आधार पर



थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि बनाम मुकेश कुमार व अनमोल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्ता अनीता पत्नी जितेन्द्र निवासी अंगिरा नगर पराग डेरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता अनीता पत्नी जितेन्द्र निवासी अंगिरा नगर पराग डेरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट:- स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्तगण अनमोल व मुकेश उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

अनीता पत्नी जितेन्द्र निवासी अंगिरा नगर पराग डेरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्ता अनीता का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 267/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 930 /22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 161/22 धारा 8/21/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 179/24 धारा 302 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रवि तोमर थानाध्यक्ष मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. हे0कां0 652 चैन सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. म0कां0 331 भावना थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना धामपुर

दिनांक- 03.07.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी के सामान व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का किया अनावरण ।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, लूट, चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.07.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग में संदिग्ध वाहन को पकडा । वाहन चालक से पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम सत्यम तिवारी पुत्र अनिल तिवारी निवासी ग्राम विशाखपुर थाना पीपलपुर जनपद सुल्तानपुर बताया । वाहन से चोरी के सोलर पैनल के बैटरे, इन्वर्टर, गैस सिलेण्डर, एक डीवीआर, कम्प्यूटर व चोरी के उपकरण आदि बरामद हुए तथा अभियुक्त की निशादेही पर थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलावलपुर के इलेक्ट्रानिक गोदाम से की गई चोरी का सामान भी बरामद किया गया । घटना में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त सत्यम उपरोक्त से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक 01.07.2024 की रात्रि में थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलावलपुर स्थित इलेक्ट्रानिक गोदाम से तथा दिनांक 03.07.2024 को थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरैनी स्थित स्कूल



से रात्रि में सामान चोरी किया था।

थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरैनी स्थित स्कूल में हुई चोरी की घटना के संबंध में स्कूल चौकीदार की तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 195/24 धारा 331(6) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया है। थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलावलपुर स्थित गोदाम से चोरी के संबंध में वादी श्री संजय कुमार रुहेला पुत्र राजा राम रुहेला निवासी मौ0 अचारजान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर की तहरीर पर मु0अ0सं0 324/24 धारा 305 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त से गहन पूछताछ जारी है। शेष साथी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अभियुक्त का शातिर किस्म का चोर है। इसके आपराधिक इतिहास की अन्य जनपदों से भी जानकारी की जा रही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सत्यम तिवारी पुत्र अनिल तिवारी निवासी ग्राम विशाखपुर थाना पीपलपुर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी का विवरण:-

थाना धामपुर की चोरी के संबंध में बरामद माल:-

- (1) 22 गैस चूल्हे
- (2) 33 पंखे
- (3) 06 ओवन
- (4) 12 इन्डेक्शन
- (5) 18 प्रेस
- (6) 31 कूकर
- (7) 01 मिक्सी
- (8) 02 बैटरे

थाना नगीना की चोरी के संबंध में बरामद माल:-

- (1) 11 सोलर पैनल के बैटरे।
- (2) 02 इन्वर्टर।
- (3) 01 गैस सिलेण्डर।
- (4) 03 डीवीआर
- (5) एक कम्प्यूटर
- (6) 6100/- रुपये
- (7) चोरी के उपकरण

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 34/23 धारा 328/380/411 भादवि थाना जीआरपी मुरादाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 122/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना जीआरपी मुरादाबाद ।
- 3- मु0अ0सं0 46/24 धारा 328/392/411 भादवि थाना जीआरपी मुरादाबाद ।
- 4- मु0अ0सं0 324/24 धारा 305 बीएनएस0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 5- मु0अ0सं0 195/24 धारा 331(6) बीएनएस0 थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

पुलिस टीम का विवरण का विवरण:-

- 1- श्री किशन अवतार थाना प्रभारी धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- उ0नि0 अन्नू कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4- आरक्षी अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी खुशीराम थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 6- आरक्षी अनिल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 7- आरक्षी मुदस्सिर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 8- आरक्षी सौरभ कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 9- आरक्षी योगेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मण्डावर

दिनांक- 03.07.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 197/24 धारा 115/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 में
वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.07.2024 को वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.कार्तिक पुत्र बेगराज निवासी ग्राम छकडा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर, 2.मंगल पुत्र कामेन्द्र व 3 तरूण पुत्र जितेन्द्र निवासीगण ग्राम रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई व जान से मारने की नियत से उसके सिर पर सरिया से वार कर घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 197/24 धारा 115/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण मंगल पुत्र कामेन्द्र व तरूण पुत्र जितेन्द्र निवासीगण ग्राम रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.मंगल पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 2.तरूण पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास मंगल उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 298/23 धारा 307/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 306/23 धारा 507 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 412/23 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 415 /23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 5.मु0अ0सं0 197/24 धारा 115/352/351(2)(3)/109 बीएनएस0 थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास तरुण उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 298/23 धारा 307/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 412/23 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 420/23 धारा 307/323/504 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 422 /23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 197/24 धारा 115/352/351(2)(3)/109 BNS थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 607 कपिल तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. का0 2103 शिवांक त्यागी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 03.07.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 413/2024 धारा 147/506/384/500
भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.05.2024 को वादी डा0 एच0 एस0 निवासी त्वचा क्लीनिक बस स्टैण्ड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. अनुज 2. सूर्यमणि 3. कुलदीप 4. पवन व 5. चन्द्रमणि द्वारा वादी से रंगदारी की मांग की गई व जान से मारने की धमकी दी गई तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उल्टे सीधे मैसेज भेजकर मानसिक उत्पीडन किया गया । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 413/2024 धारा 147/506/384/500 भादवि बनाम अनुज, सूर्यमणी, कुलदीप, पवन व चन्द्रमणी उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चन्द्रमणि पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह ग्राम फरीदपुर भोगी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चन्द्रमणि पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह ग्राम फरीदपुर भोगी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास चन्द्रमणी उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 413/2024 धारा 147/506/384/500 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 148/2024 धारा 384/504 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 763/2019 धारा 323/384/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 1738 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. का0 54 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक- 03.07.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अकील पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहल्ला मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अकील पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहल्ला मेमरान कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.का0 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.का0 971 सौरभ थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 03.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 227/24 धारा
110/131/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस0 मे वांछित तीन अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.07.2024 को वादी आशु सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अनिल कुमार, 2.अरुण कुमार, 3.विशाल कुमार व 4.देवा कुमार द्वारा वादी, वादी के भाई व पिता के साथ लाठी डन्डो से मारपीट की गई जिससे वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 227/24 धारा 110/131/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार, 2.देवा कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासीगण ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व 3.अरुण कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.विशाल कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 2.देवा कुमार उर्फ अभिषेक पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 3.अरुण कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम मुरलीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 761 नेम सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2335 विजय कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हल्दौर

दिनांक 03.07.2024

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 176/2024 धारा 307/325/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.06.2024 को वादिनी श्रीमती काजल पत्नी रामवीर सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण गौतम पुत्र भूपे निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर आदि कुल 04 नफर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के परिवार के साथ गाली गलौच करते हुये लोहे के पाइप से मारपीट की गई, जिससे वादिनी के पति के सिर में गंभीर चोट आई तथा वादिनी व वादिनी की बेटी को भी चोट आयी । इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 176/24 धारा 307/325/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 176/24 धारा 307/325/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सोमपाल उर्फ भूपे पुत्र मक्खन सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में एक बाल अपचारी को पूर्व में पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा गौतम पुत्र भूपे निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोमपाल उर्फ भूपे पुत्र मक्खन सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 पवनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवाला कलां

दिनांक – 03.07.2024

“ऑपरेशन स्माईल” अभियान के क्रम में थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को मात्र 05 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 02.07.2024 को पीआरवी के माध्यम से थाना शिवाला कलां पर सूचना प्राप्त हुई कि कॉलर/वादिनी का पति विष्णु कुमार (35 वर्ष) पुत्र सुगम सिंह निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर, जो रात्रि के समय खेत पर गया था तथा जिससे रात्रि में ही वादिनी की फोन पर बात हुई थी, सुबह घर वापस नहीं आया तथा मोबाइल नम्बर भी बन्द आ रहा है । प्राप्त सूचना के आधार पर गुमशुदा विष्णु उपरोक्त की सकुशल बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी, चांदपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया ।



कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपहृत/गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन स्माईल” के क्रम में गठित टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए मात्र 05 घण्टे के अन्दर दिनांक 02.07.2024 को विष्णु उपरोक्त को कस्बा मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा से सकुशल बरामद कर आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया ।

विष्णु उपरोक्त ने स्थानीय पुलिस को बताया कि वह अत्यधिक शराब के नशे में स्वयं खेत की ट्यूबवेल से चला गया था ।

बरामदगी –

विष्णु कुमार (35 वर्ष) पुत्र सुगम सिंह निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थाना प्रभारी श्री ब्रजकिशोर शर्मा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 464 मोनू कुमार थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1998 विष्णु शर्मा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।